



39

IN THE HON'BLE REVENUE BOARD AT GWALIOR

Appeal No. /2017

PBR/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2017/6264

Appellant

:

Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd (formerly Gwalior Distillers Limited.), Rairu Farm, Agra Mumbai Road Gwalior 474010, through its General Manager Mr. P.V. Muralidharan S/o Late Shri V.V.S. Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior (M.P.)

दिनांक 21-12-17 को
से का प्रेषण रार्मा कोमि
इस प्रसव
21-12-17
को दि 3-1-18
JAW 21/12/17

VERSUS

Respondent

:

Excise Commissioner, Motimahal, Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT,

1915 AGAINST ORDER DATED 19.07.2016 (ANNEXURE - A)


PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY

THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY

PENALTY OF RS. 25,750/- FOR NON KEEPING MINIMUM

STOCK.


Most humbly and respectfully the appellant submit as



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ0अ0/17/6264

स्थान दिनांक	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.2018		<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19-7-16 के विरुद्ध दिनांक 21-12-17 को पेश की गई है, जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाह्य है । विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19-7-2016 की सूचना उन्हें 11-12-17 को दी गई थी, परन्तु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>